

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र/NUCLEAR FUEL COMPLEX
प्रशासन/ADMINISTRATION

सं/Ref: NFC/DCE(A&A)/51/2020/ 50

July 09, 2020

- विषय : एनएफसी के पैनलीकृत जोनल अस्पतालों तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों द्वारा सीएचएसएस लाभार्थियों को भर्ती न किए जाने की शिकायतों के संबंध में।
- Sub : Complaints regarding non-admission of CHSS beneficiaries by the Zonal Hospitals and Super Specialty Hospitals empanelled by NFC - Reg.

हाल ही में, सीएचएसएस लाभार्थियों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें यह कहा गया है कि सीएचएसएस स्कीम के अंतर्गत एनएफसी द्वारा पैनलीकृत जोनल अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोविड-19 के कारण सीएचएसएस लाभार्थियों को उपचार देने /अस्पतालों में भर्ती करने से मना कर रहे हैं।

Of-late, complaints are being received from CHSS beneficiaries stating that the Zonal Hospitals/Super Specialty Hospitals empanelled by NFC under the CHSS Scheme are refusing to extend treatment/admission in the Hospitals due to COVID-19.

2. एनएफसी द्वारा पहले ही जोनल अस्पतालों तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के साथ यह मामला उठाया जा चुका है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि सामान्यतः वे सीएचएसएस, एनएफसी के अधीन पंजीकृत लाभार्थियों को उपचार/भर्ती करने से मना नहीं करेंगे। यदि जोनल अस्पताल/ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपचार /भर्ती नहीं कर पाते हैं तो, इसका कारण विशेषतौर पर लाभार्थी की हेल्थ पासबुक में लिखें कि वे उपचार/भर्ती करने में क्यों असमर्थ हैं।

NFC has already taken up the matter with all the Zonal hospitals and Super Specialty Hospitals and instructed them that in the normal course they should not refuse treatment/admission of beneficiaries registered under the Contributory Health Service Scheme of NFC. In case for some unavoidable reasons, the Zonal Hospital/Super Specialty Hospitals are unable to extend treatment/admission, they should specifically indicate the reasons in the Health pass-book of the beneficiary why they are not able to extend treatment/admission.

3. अतः, सीएचएसएस के सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे जोनल अस्पतालों तथा सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से उपचार नहीं किए जाने के कारण को अपनी हेल्थ पासबुकों में लिखवा कर लाएं और इस तथ्य की लिखित सूचना सहायक कार्मिक अधिकारी, सीएचएसएस, एनएफसी एवं प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (कॉलोनी हेल्थ सेंटर एवं सीएचएसएस) को दें ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

All CHSS beneficiaries are therefore requested to get the reason recorded in the health pass-book from the Zonal Hospitals/Super Specialty Hospitals and bring this fact to the notice of APO, CHSS, NFC forthwith in writing with a copy to Chief Medical Superintendent (Colony Health Centre & CHSS) for making alternative arrangements.

एन. विजयराघवन 09.07.2020

(एन. विजयराघवन N. Vijayaragavan)

उप मुख्य कार्यपालक (प्र. व लेखा)

Dy. Chief Executive (Admn. & Accounts)

एनएफसी के सभी संयंत्र/अनुभाग
All Plants/Sections in NFC

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC - सादर सूचनार्थ for kind information pls.
2. उ.मु.का.DCE(Zr., SM, ZC, Melting, Planning & Medical)
3. मु.चि.अधी CMS(CHC & CHSS)/CMS(OHC, ZC & NFC-K)
4. एनएफसी के पैनल के अधीन सभी जोनल अस्पतालों/सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक
Medical Superintendents of all Zonal Hospitals/Super Specialty Hospitals
under the panel of NFC